दिनांक–05.03.2024 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिलावार प्रगति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–05.03.2024 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ की गई।

बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न जिलों यथा–किशनगंज, पूर्णियां, खगड़िया, सीतामढ़ी, लखीसराय, बांका, मुंगेर में नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा अरवल के बन्दोबस्त पदाधिकारी से उनके जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के संबंध में उनके स्तर से पदस्थापन पश्चात् किये गये अनुश्रवण के संबंध में पृच्छा की गई। पृच्छा के आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को गति प्रदान करने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नाकिंत कार्रवाई की गई हैः–

1. किशनगंज के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किशनगंज जिले में जिन अमीन एवं कानूनगो की शिविर टैगिंग नहीं किया गया था, उन सभी की शिविर टैगिंग कर दी गई है। शिविर निरीक्षण कर सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए याद्दाश्त पंजी को कार्य के अनुरूप अद्यतन करने एवं सॉफ्टवेयर में संधारित करने का निदेश दिया गया है। शिविर निरीक्षण में यह भी पाया गया है कि आवश्यक कागजातों के बिना ही प्रपत्र–6 में प्रविष्टि की जा रही थी, इस संबंध में आवश्यक निदेश दिये गये है।
2. पूर्णियां एवं खगड़िया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिविरों का निरीक्षण कर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया है। खगड़िया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चौथम शिविर के कानूनगो द्वारा विगत एक वर्ष में याद्दाश्त पारित नहीं किये जाने के कारण उनसे कारण पृच्छा की गई है।
3. सीतामढ़ी, लखीसराय, बांका एवं अरवल के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से दो–तीन शिविरों के कार्यों की समीक्षा की गई है एवं शिविर स्तर पर अभिलेखों की जाँच भी की गई है। सीतामढ़ी के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बिना खाता, खेसरा की प्रविष्टि के कानूनगो द्वारा याद्दाश्त पंजी पर हस्ताक्षर करने एवं बांका द्वारा विभिन्न शिविर के शिविर प्रभारियों के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में बताया गया।
4. अरवल, बांका एवं मुंगेर द्वारा बताया गया कि शिविर निरीक्षण के क्रम में कर्मियों को उपस्थिति एवं विभिन्न प्रपत्रों के सभी कॉलमों में प्रविष्टि किये जाने संबंधी आवश्यक निदेश दिये गये है। मुंगेर के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित विशेष सर्वेक्षण शिविर में अभिलेखों/कागजातों के सुरक्षा की समस्या है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों से संबंधित फिडबैक प्राप्त करने के पश्चात् जिलास्तरीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न जिलों में खानापुरी एवं प्रपत्र–6 की प्रविष्टि के कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है एवं सुनवाई प्रक्रम में दावा/आपत्तियों का निष्पादन भी ससमय नहीं हो पा रहा है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि तीन जिलों यथा–कटिहार, जमुई एवं मधेपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में जाने के कारण कार्य बाधित हो रहा है, जबकि पश्चिम चम्पारण, सुपौल, अररिया एवं अरवल में बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद रिक्त होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित हो रही है। समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि कुल 208 विशेष सर्वेक्षण शिविरों में से मात्र 125 शिविरों द्वारा फरवरी माह के चतुर्थ सप्ताह का MIS प्रतिवेदन संधारित किया गया है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा सॉफ्टवेयर संचालन में मोबाईल का प्रयोग करने के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया।

विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों से फिडबैक प्राप्त करने के पश्चात् जिलावार तैयार किए गए समेकित एवं तुलनात्मक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर की गई समीक्षा एवं समीक्षोंपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत् हैं–

1. **<u>प्रथम चरण अंतर्गत जिला के सभी राजस्व ग्रामों की प्रगति की समीक्षाः</u>**– दिनांक–18.12.2023 को हुई राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक–05.03.2024 तक सभी जिलों में 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार प्रकाशित किये गए लक्ष्य के आलोक में की गई। समीक्षा में पाया गया कि अब तक 08 जिलों यथा–अरवल, बेगूसराय, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा एवं पश्चिम चम्पारण द्वारा 2500 खेसरा तक वाले 217 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है, जबकि सभी 20 जिलों द्वारा 2500 से 5000 खेसरा तक वाले कुल 1092 ग्रामों में से मात्र 264 राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। समीक्षोपरांत जिलावार प्रगति निम्नवत् पाई गईः–

I. <u>2500 खेसरा तक वाले 08 जिलों की प्रक्रमवार प्रगति :–</u>

2500 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	एल0पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति / Map Updation के लिए लंबित
1	अरवल	166	139	27	0	1	0	5	21
2	बेगूसराय	285	264	21	2	6	3	6	4
3	खगड़िया	78	76	1	1	0	0	1	0
4	किशनगंज	284	140	144	0	69	13	48	14
5	मधेपुरा	61	52	9	0	0	0	0	9
6	मुंगेर	264	254	10	1	0	0	6	3
7	सहरसा	42	38	4	0	0	2	0	2
8	प0 चम्पारण	153	152	1	0	0	0	0	1
	कुल	**1333**	**1115**	**217**	**4**	**76**	**18**	**66**	**54**

II. 2500 खेसरा से 5000 खेसरा तक तक वाले 20 जिलों की प्रक्रमवार प्रगति निम्नवत् पाई गई:—

2500- 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0 पी0 एम0 लंबित	एल0पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति / Map Updation के लिए लंबित
1	अररिया	32	6	26	2	11	1	12	
2	अरवल	88	2	86	26	26	11	6	17
3	बांका	57	15	42	11	18	0	9	4
4	बेगूसराय	66	4	62	33	13	2	12	2
5	जमुई	30		30	रिपोर्ट अप्राप्त				
6	जहानाबाद	56	12	44	3	20	1	11	9
7	कटिहार	34	1	0	0	0	0	0	33
8	खगड़िया	45	7	38	6	22	0	8	2
9	किशनगंज	97	0	97	82	15	0	0	0
10	लखीसराय	85	5	80	29	36	0	13	2
11	मधेपुरा	18	0	18	2	11	0	3	2
12	मुंगेर	41	14	27	6	9	0	10	2
13	नालंदा	102	50	52	0	13	18	18	1
14	पूर्णियाँ	6	0	6	0	0	0	1	5
15	सहरसा	45	4	41	18	7	2	11	3
16	शेखपुरा	64	64	0	0	0	0	0	0
17	शिवहर	25	13	12	1	6	0	2	3
18	सीतामढ़ी	106	12	94	40	29	0	18	7
19	सुपौल	64	41	23	11	5	2	0	5
20	प0 चम्पारण	63	11	52	9	25	6	8	4
	कुल	**1092**	**264**	**828**	**277**	**255**	**42**	**130**	**95**

जिलास्तरीय समीक्षा एवं समस्या इत्यादि के उपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये:—

(i) जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा यदि किसी कर्मी यथा–अमीन या कानूनगो द्वारा किसी प्रक्रम के कार्य को निदेशालय द्वारा निर्धारित की गई अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं किया जाता है तो उनकी संविदा समाप्ति की अविलंब अनुशंसा की जाय।

(ii) कटिहार में 2500 से 5000 खेसरा वाले सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये जाने के आलोक में निदेशालय स्तर से एवं जिला स्तर से शिविर स्तरीय अभिलेखों की जाँच गहनता के साथ की जाय एवं रैयतों द्वारा दिये गये आपत्ति तथा पारित आदेशों की गुणवत्ता की भी जाँच की जाय।

(iii) किशनगंज में 2500 खेसरा से कम वाले 69 राजस्व ग्रामों में चल रहे खानापुरी कार्य एवं 69 ग्रामों में चल रहे प्रपत्र–6 की प्रविष्टि के कार्य को देखते हुए जिला स्तर से इन दोनो कार्यो का अलग से अनुश्रवण करते हुए एक पक्ष के अन्दर दोनो कार्यो को पुरा किया जाय।

(iv) खगड़िया जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बेलदौउर शिविर के मुराद गाँव में दो अलग–अलग तरह के मानचित्र प्राप्त हुए है जिसके कारण सरकारी भूमि के स्वामित्व निर्धारण में कठिनाई आ रही है एवं इस संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर से सभी तथ्यों की जाँच कर यथा शीघ्र मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाय।

(v) शेखपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शेखपुरा जिला अर्न्तगत प्रथम चरण के सभी 284 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई। निदेशित किया गया कि कोई भी बन्दोबस्त पदाधिकारी किसी भी एजेंसी के माध्यम से बनाने हेतु स्वतंत्र है। जिन बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा अभी तक डिजिटल हस्ताक्षर नहीं बनाया गया है उनके द्वारा यथाशीघ्र बना लिया जाए।

(vi) शिवहर के बन्दोबस्त पदाधिकारी बताया गया कि आगामी एक पक्ष में 2500–5000 खेसरा वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन कर दिया जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि शिवहर जिलो के प्रतिवेदन में चौहद्दी सुधार को लंबित प्रदर्शित करते हुए अग्रेत्तर प्रक्रम की प्रगति उपस्थापित कर दी जाती है जो गलत है। निदेशित किया गया कि चौहद्दी सुधार का कार्य प्रपत्र–6 को पूर्ण किये जाने के साथ–साथ ही किया जाना चाहिए न कि प्रारूप प्रकाशन के साथ–साथ।

(vii) पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि एक ग्राम की टैगिंग बन्दोबस्त पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण नहीं हो पा रहीं है। निदेशित किया गया कि जिन जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी नहीं हैं वहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त कर वहाँ के संबंधित भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को टैगिंग हेतु प्राधिकृत किए जाने संबंधी आदेश निर्गत किया जाए।

(viii) बैठक में बताया कि वर्तमान में कार्यरत 208 शिविरों में मात्र 125 शिविरों द्वारा फरवरी चर्तुथ माह का एम0आई0एस0 उपलब्ध कराया गया है। निदेशित किया कि जिन शिविरों द्वारा एम0आई0एस0 प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है उनसे कारण पृच्छा करते हुए उनके एक सप्ताह के वेतन कटौती की कार्रवाई की जाए।

(ix) निदेशित किया गया कि जिन जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी प्रशिक्षण हेतु मंसुरी गए है एवं मार्च 2024 के अन्तिम सप्ताह में वापस आने वाले है, वहाँ के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/राजस्व अधिकारी को 31 मार्च 2024 तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रभार देने हेतु आदेश निर्गत किया जाए।

(x) सभी जिलों को निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसीयों के भुगतान से संबंधित जो भी प्रतिवेदन लंबित है उन्हें यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाय।

अन्त में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि विगत एक वर्ष से की जा रही उच्च स्तरीय समीक्षा द्वारा सभी जिलों को 31.03.2024 तक प्रथम चरण अर्न्तगत सभी ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था जबकि अभी तक 2500 खेसरों वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रपत्र–12 प्रकाशित नहीं किया गया है जो अत्यन्त खेदजनक है। निदेशित किया गया कि 31.03.2024 तक 2500 खेसरों वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रपत्र–12 प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए एवं सभी जिलों में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन उपरान्त की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाई जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0सर्वे0–09/2022...1612...पटना, दिनांक 01/04/2024

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त, अररिया/सुपौल/पश्चिमी चम्पारण/अरवल/**बन्दोबस्त पदाधिकारी**, शेखपुरा/ बेगूसराय/ लखीसराय/ बांका/ शिवहर/ सीतामढ़ी/ जहानाबाद/ मुंगेर/ जमुई/ सहरसा/ मधेपुरा/ कटिहार/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/ खगड़िया/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथर्य प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

B:\Dharmveer\Y- 2024\Birendra Sir\Proceeding\Proceeding_SO 05-03-2024.docx